न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 39/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00039)

1. मानसिंह पुत्र श्री केशराराम
2. धर्मपाल पुत्र श्री केशराराम
   जाति स्वामी निवासीगण चक 11 एम.एस.आर.मुन्सरी तहसील भादरा हाल आबाद गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शांति देवी पत्नी केशराराम
2. विमला पत्नी राममूर्ति
3. सावित्री देवी पत्नी रामचन्द्र
4. लीलूराम पुत्र श्री केशराराम (फौत) नाम कलमजन दिनांक 08.03.2022

जाति स्वामी निवासीगण चक 11 एम. एस.आर.मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

5. राममूर्ति पुत्र श्री केशराराम
6. रामचन्द्र पुत्र श्री केशराराम
7. भालसिह पुत्र श्री केशराराम
8. मदनसिह पुत्र श्री केशराराम
9. सुमित्रा पुत्री केशराराम
10. शारदा पुत्री केशराराम
11. सुन्दर देवी पत्नी भालसिह
12. बख्तावरी तथाकथित पत्नी केशराराम जाति स्वामी निवासी चक 11 एम.एस.आर. मुन्सरी तहसील भादरा हाल आबाद गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भादरा।

रेस्पोडेट्स

उपस्थितः

1. श्री अनिल सिह खिचड़ — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री गगन मोदी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,
3. श्री सुरेन्द्र गोदारा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 12
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31.08.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर में अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजस्व भादरा द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं. 541 दिनांक 09.11.2017 चक 11 एम.एस आर को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.06.2018 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर इंतकाल सं. 541 दिनांक 09.11.2017 को अपास्त किया तथा पत्रावली तहसीलदार को रिमाण्ड कर पक्षकारान को सुनकर एव अपर जिला सेशन न्यायाधीश के निर्णय एवं उच्च न्यायालय जोधपुर के विचाराधीन अपील/स्थगन आदेश को मध्यनजर रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 12 के अभिभाषक बहस के दौरान उपस्थित नही हुए।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा अपीलान्ट हिन्दु विधिक पैतृक सम्पति में वादीगण का भी अपने के अनुसार प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्सा था। शांति देवी व उसके नुत्फे से उप्पन्न हुए पुत्रो के मन में लालच आ गया और उन्होने वादीगण के पिता केशराराम के अनपढ व वद्व का फायदा उठाकर अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 26.07.2012 को भूमि चक 11 एमएसआर के खाता सं. 12/8 के मु.नं. 21, 27 की कुल 4.807 हक्टेयर नहरी भूमि मय रास्ता की सम्पूर्ण भूमि का एक नुमाईशी बैयनामा रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष में करवा लिया जिसको अपीलान्ट द्वारा एक वाद अपर जिला न्यायाधीश भादरा के यहा प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दिनाक 11.10.2017 को करते हुए डिक्री किया गया जिसमें केसराराम द्वारा निष्पादित एक पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.07.2012 को निरस्त कर शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि वे वाद भूमि चक 11 एम एस आर के खाता स. 12/8 के मु.नं. 21,24 की कुल 4.807 हैक्टेयर खातेदारी भूमि को किसी भी व्यक्ति या संस्था को रहन बैय अन्तरण ना करे। इस आदेश के पश्चात अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपर जिला

अति. संभागीय आयुक्त

न्यायाधीश भादरा के निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना कर नामान्तरण खारिज करने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2017 को प्रस्तुत किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा तहसीलदार भादरा को अपर जिला न्यायाधीश निर्णय दिनाक 11.02.2017 के आदेश की पालना करने हेतु आदेशित करते हुए दिनाक 06.11.2017 को पत्र भेजा। तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 09.11.2017 को आदेश में स्वीकृति दे दी थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपर जिला न्यायाधीश भादरा के आदेश दिनाक 11.10.2017 के विरूद्व हाई कोर्ट जोधपुर से दिनांक 07.11.2017 को स्थगन आदेश प्राप्त किया था। जिसकी प्रतिलिपी रेस्पोडेन्ट द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु तहसीलदार भादरा को दिया गया था। तहसीलदार भादरा द्वारा कोई भी कंटिग सा दस्तावेजो को छुपाकर इन्तकाल को निरस्त नही किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.06.2018 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि प्रकरण में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनाक 07.11.2017 होने के बाद ईन्तकाल दर्ज किया गया, इन्तकाल में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पारित करने के बाद पुनः पिछली स्थति में नामान्तरण होना चाहिए था जो नही किया गया, इसके अलावा इन्तकाल में काटा– छांटी है जो संदेहास्पद है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील नामान्तकरण सं. 541 दिनांक 09.11.2017 के संबध में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में नामान्तकरण सं. 541 दिनांक 09.11.2017 जिला न्यायाधीश भादरा के डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया है। उक्त डिक्री के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 07.11.2017 को स्थगन आदेश जारी कर दिया था। इसी आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इंतकाल सं. 541

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 09.11.2017 को अपास्त कर प्रकरण को तहसीलदार को रिमाण्ड किया है उक्त प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित अपील मे दिनांक 03.08.2022 को स्थगन आदेश की अवधि आगामी तारीख तक बढाई है। इस प्रकार नामान्तकरण सं. 541 जिस डिक्री के अनुसरण मे दर्ज किया गया था उस डिक्री का Opration माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन किया गया है जो कि वर्तमान में लम्बित है। अतः अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.स्व.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर